राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. **67/2025** **GCMS NO. 2025/211**

प्रार्थी–	**बनाम**	**अप्रार्थीगण–**
1. श्री विकास अधिकारी, पाटोदी, जिला बालोतरा।		1. श्री सरपंच, ग्राम पंचायत सांभरा, तहसील पाटोदी, जिला बालोतरा। **2. श्री वीरमाराम पुत्र श्री मूलाराम जाति जाट निवासी लूनाड़ा, बाड़मेर।**

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 28 दिनांक 20.11.2022 जो अप्रार्थी सं. 2 के नाम ग्राम पंचायत सांभरा द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री सांवलराम मेघवाल, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं. 2 स्वयं बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 29.04.2026

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत सांभरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टा संख्या 28 दनांक 20.11.2022 के विरूद्ध दिनांक 04.11.2025 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत सांभरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के नियम 167(1) के तहत मौजा सांभरा में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 28 दिनांक 20.11.2022 को जारी किया गया। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ ग्राम पंचायत सांभरा से निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

जिला कलक्टर
बालोतरा

4. प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस यह कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत सांभरा द्वारा आबादी भूमि के आवंटन हेतु आयोजित की गई नीलामी प्रक्रिया तथा उसके परिणामस्वरूप जारी किया गया पट्टा पूर्णतया अवैध, नियम विरुद्ध जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपनाई गई नीलामी प्रक्रिया की प्रथम दृष्टया अवैधता इसी तथ्य से प्रमाणित होती है कि नीलामी हेतु गठित कमेटी में पंचायत समिति के प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया, जो कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 151 के अंतर्गत एक अनिवार्य शर्त है। सक्षम प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में की गई कोई भी कार्यवाही स्वतः ही अविधिक एवं प्रभावहीन हो जाती है। अप्रार्थी संख्या 1 ने राजकोष को भारी क्षति पहुँचाने के आशय से निलामी की बोली न्यूनतम डीएलसी दरों से प्रारंभ नहीं की। तथ्य रिकॉर्ड पर है कि वर्ष 2022 में ग्राम पंचायत सांभरा की आबादी भूमि की डीएलसी दर 60/– रुपये प्रति वर्गफीट निर्धारित थी, परन्तु नीलामी कमेटी ने दुर्भावनापूर्वक मात्र 9/– रुपये प्रत्ति वर्गफीट की सिंचित भूमि की दर से बोली प्रारंभ कर भूखण्डों का आवंटन कर दिया, जो कि नियमों का घोर उल्लंघन है एवं सीधे तौर पर भ्रष्टाचार को इंगित करता है। पंचायती राज नियमों का उद्देश्य समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों का उत्थान करना है। नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि आबादी भूमि आवंटन में बीपीएल परिवार, घुमक्कड़ जातियां, भेड़ पालकों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अप्रार्थी संख्या 1 ने इन सभी वर्गों के हितों की पूर्णतया अनदेखी करते हुए मनमाने तरीके से भूखण्ड आवंटित कर दिए, जिससे अधिनियम की मूल भावना ही समाप्त हो गई। सम्पूर्ण नीलामी प्रक्रिया के दौरान राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के आबादी भूमि नियमन से संबंधित विभिन्न प्रावधानों, विशेषकर नियम 142, 143, 152, 158 एवं 161 के बाध्यकारी प्रावधानों की जानबूझकर अवहेलना की गई। अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त पट्टा जारी करने की पट्टा बुक भी पंचायत समिति से जारी नहीं करवायी थी। नीलामी की प्रक्रिया में भुखण्ड की राशि 10000/– रूपये से अधिक राशि प्राप्त होने पर उसके विक्रय की पुष्टि हेतु नियम 154 के तहत पंचायत समिति से अनुमोदन पश्चात् ही पट्टा जारी किया जा सकता है जो उक्त पट्टे जारी करने में नहीं किया गया है। सम्पूर्ण प्रक्रिया की गंभीरता को देखते हुए विभाग द्वारा पूर्व में उक्त नीलाम किये गए पट्टों की गहन जांच की, जिसमें आवंटन प्रक्रिया को अविधिक एवं अवैध माना गया। इस प्रकार उक्त विभागीय जांच रिपोर्ट अपने आप में इस निगरानी याचिका को स्वीकार करने का एक ठोस एवं मजबुत साक्ष्य है। अप्रार्थी संख्या 1 के पदाधिकारियों तथा पट्टा धारक (विप्रार्थी संख्या 2) के मध्य स्पष्ट मिलीभगत एवं दुर्भावनापूर्ण आशय परिलक्षित होता है। न्यूनतम मूल्य से भी कम दर पर नीलामी शुरू करना, अनिवार्य नियमों एवं शर्तों की अवहेलना करना, तथा रिकॉर्ड संधारित न करना, यह सब एक संगठित प्रयास

जिला कलक्टर
बालोतरा

की ओर इशारा करता है। चूँकि नीलामी की पूरी प्रक्रिया ही अवैध, शून्य एवं अधिनियम के मूल प्रावधानों के विपरीत थी, इसलिए इस प्रक्रिया के आधार पर जारी किया गया पट्टा प्रारंभ से ही शून्य (void ab initio) हैं। इस पट्टे के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 को कोई वैध अधिकार, हक या हित प्राप्त नहीं होता है। यदि इस प्रकार की अवैध एवं भ्रष्ट प्रक्रियाओं को मान्यता दी जाती है, तो यह एक अत्यंत खतरनाक मिसाल स्थापित करेगा। इससे अन्य ग्राम पंचायतें भी कानून की अवहेलना करने के लिए प्रोत्साहित होंगी, जिससे पंचायती राज व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगेगा एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को स्वीकार फरमाकर, अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत सांभरा द्वारा अपनायी गई सम्पूर्ण नीलामी प्रक्रिया को अवैध घोषित करते हुए, उक्त प्रक्रिया के तहत अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किये गये पट्टे को निरस्त एवं खारिज करने का आदेश प्रदान फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 को जारी नोटिस तामिल पूर्ण होने के बावजुद भी दौराने बहस अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 2 को इस प्रकरण के निगरानी में प्रार्थी द्वारा उल्लेखित तथ्यों एवं आधारों पर अपना जवाब/बहस कथन प्रकट करने हेतु सम्यक अवसर प्रदान किया गया। इसके बावजूद अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जवाब/कोई लिखित बहस अथवा दौरान सुनवाई अभिकथन नहीं करने पर प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

6. हमने पत्रावली में प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम पंचायत सांभरा द्वारा पंचायत की बैठक में दिनांक 05.08.2022 को दर्ज करते हुए फैसल दिनांक 20.11.2022, संकल्प संख्या 1 के अनुसरण में आलौच्य पट्टा संख्या **28** दिनांक 20.11.2022 को अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है। प्रार्थी के अधिवक्ता का कथन हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पंचायतीराज अधिनियम 1996 के संम्पूर्ण नियमों की अवहेलना करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है। इस संबंध में ग्राम पंचायत से मूल अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया, जिसमें मूल पट्टे पर दायर दिनांक 05.08.2022 अंकित होना पाया गया, लेकिन इस दिनांक को बैठक कार्यवाही रजिस्टर में अप्रार्थी संख्या 2 का नाम अंकित नहीं होना पाया गया है। आपति नोटिस दिनांक 01.09.2022 को आदेश जारी किया गया, लेकिन इसका भी उक्त दिनांक को बैठक कार्यवाही रजिस्टर में किसी प्रकार का प्रस्ताव नहीं होना पाया गया। नीलामी के समय पंचायत समिति के किसी अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति या हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं, जो नियम 151 की बाध्यकारी शर्तों का उल्लंघन है। भूमि की प्रकृति "आबादी" होते हुए भी "सिंचित कृषि" की

जिला कलक्टर
बालोतरा

दरों पर नीलामी की गई है। बेशकीमती भूमि को बिना उचित मूल्यांकन और न्यूनतम DLC दर की पालना किए बिना आवंटित करना गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है, जिससे स्पष्ट होता है कि आरक्षित दर का निर्धारण नियम 143 के विरुद्ध किया गया। सक्षम स्तर (पंचायत समिति) से पट्टा बूक का पुष्टीकरण का कोई आदेश संलग्न नहीं है, बिना पुष्टीकरण के जारी पट्टा कानूनी रूप से अस्तित्वहीन है। साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा भूखंड आवंटन प्लान (Layout Plan) किसी अधिकृत नगर नियोजक से अनुमोदित नहीं करवाया गया, जो कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 142 के अनुसार आबादी भूमि के नियोजन हेतु ले–आउट प्लान तैयार करना और नगर नियोजक से अनुमोदन आवश्यक है। बिना मास्टर प्लान या अनुमोदित ले–आउट के नीलामी द्वारा पट्टे जारी करना प्रक्रियात्मक दोष (Procedural Lapse) है। नीलामी की सूचना और आपत्ति नोटिस स्थानीय समाचार पत्र (जो उस क्षेत्र में प्रचलित हो) में प्रकाशित करवाने के बजाय किसी अन्य जिले के समाचार पत्र में प्रकाशित करवाना पाया गया, जिससे स्थानीय जनता को आपत्ति दर्ज करने का अवसर नहीं मिला। नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए सार्वजनिक सूचना का ऐसे समाचार पत्र में प्रकाशन अनिवार्य है, जिसका उस क्षेत्र में व्यापक प्रसार हो। अन्य जिले के समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित करना "छद्म प्रकाशन" की श्रेणी में आता है, जिससे नीलामी की निष्पक्षता समाप्त हो जाती है। यह प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) के सिद्धांतों के विरुद्ध है। प्रत्येक भूखंड के लिए पृथक पत्रावली तैयार कर नियमतः पत्रावली में आवेदन पत्र, भूखंड का नक्शा, पटवारी रिपोर्ट, राजस्व जमाबंदी, मौका रिपोर्ट, आपत्ति नोटिस, नीलामी कार्यवाही, DLC रेट सूची, पंचायत का निर्णय और उच्च संस्था का अनुमोदन होना अनिवार्य था, लेकिन सभी खसरों के आवेदनों और पट्टों को एक साथ नत्थी कर खानापूर्ति की गई है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक आवंटन की एक स्वतंत्र "मिशल" होनी चाहिए। पत्रावलियों का विधिवत संधारण न होना यह दर्शाता है कि आवंटन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी और इसमें भारी अनियमितता बरती गई है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 की मंशा ग्राम पंचायत की संपत्तियों का पारदर्शी और नियमानुसार प्रबंधन करना है। इसके अलावा विभागीय जांच रिपोर्ट में *"सरपंच श्रीमती लीला चौधरी एवं श्री विसनाराम ग्राम विकास अधिकारी राजस्थान पंचायती राज. नियम 1996 के आबादी भूमि नियम 142, 143, 152, 157 1), 158, 161 के प्रावधानों का पालन नहीं करने एवं नियमों से हटकर नियम विरुद्ध भूखण्ड आंवटन कर राजकोष को हानि पहँचाने के लिए उत्तरदायी है। सरपंच श्रीमती लीला चौधरी एवं श्री विसनाराम मेघवाल ग्राम पंचायत नीलामी का विधिवत नियमानुसार रिकार्ड संधारण नहीं किये जाने के लिए उत्तरदायी है। तत्समय पदास्थापित विकास अधिकारी के ग्राम पंचायत द्वारा भूखण्ड आंवटन*

जिला कलक्टर
बालोतरा

की नियम विरुद्ध की गई कार्यवाही को रोकने के लिए कोई कार्यवाही नहीं किये जाने, नियम 168 के प्रावधान की पालना नहीं किये जाने एवं पंचायत समिति स्तर पर रिकार्ड संधारण नहीं करवाये जाने तथा नगर नियोजन के स्थान पर पंचायत समिति की साधारण सभा से अनुमोदन कर नियम विरुद्ध कार्यवाही करवाये जाने के लिए उत्तरदायी है।" होना बताया गया है। ऐसे में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त आलोच्य पट्टा दिनांक 20.11.2022 को जारी करने में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियमों की विधिक पालना नहीं की गई है। इस प्रकार अधिनस्थ ग्राम पंचायत अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्थान पंचायतीराज नियमों में प्रावधित प्रावधानों के विपरित जाकर तथा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आलोच्य पटटा जारी किया है, निरस्त अपास्त योग्य पाया जाता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत सांभरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया विवादित पट्टा एवं उससे संबंधित संपूर्ण नीलामी प्रक्रिया को अवैध घोषित करते हुए निरस्त किया जाता है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत का विलेख निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब प्रेषित हो।

8. निर्णय आज दिनांक 29.04.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा
जिला कलक्टर
बालोतरा